इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 14/07/2017 को फाफामऊ बाजार की सड़कों पर स्थित अतिक्रमणों को हटवाया गया। उक्त कार्यवाही में 09 शेड, 13 रैम्प, 03 दीवारे, 11 चबूतरा, 08 अस्थाई चाय नास्ते के होटल व भट्ठियॉ, तथा 04 गुमटियाँ हटायी गयी। उक्त कार्यवाही में विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, नगर निगम के जोनल अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार प्रभारी चौकी फाफामऊ सहित चौकी की पुलिस,पी0ए0सी0 तथा प्राधिकरण व नगर निगम प्रवर्तन दल/पुलिस बल उपस्थित रहें।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–

जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 01 चालान, 04 नोटिस निर्गत की गयी। 02 शमन मानचित्र दाखिल किया गया।

जोन संख्या–02 व 04 में जोनल अधिकारी श्री गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में 06 चालान,01 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या– 03 व 06 में जोनल अधिकारी श्री सत शुक्ला के नेतृत्व में 04 चालान, निर्गत की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में 04 चालान निर्गत की गयी।

इस प्रकार कुल 15 चालान 05 नोटिस निर्गत की गयी तथा 02 शमन मानचित्र दाखिल किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(ए0के0पाण्डेय)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क